

## प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 27.11.2022

### 85 लीटर अवैध कच्ची शराब व कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 नफर

#### अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उ0नि0 अजय कुमार यादव व मय फोर्स द्वारा 85 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त 1- दिनेश मांझी पुत्र स्व0 रामलखन मांझी निवासी माया विगहा थाना कादीरगंज जिला नवादा, बिहार 2- मोहन साहू पुत्र रोपन साहू निवासी बंजरहा किस्को थाना लोहर दग्गा जिला लोहर दग्गा, झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया व 200 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 376/2022 धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 377/2022 धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता व पंजीकृत अभियोग का विवरण -

- 1- दिनेश मांझी पुत्र स्व0 रामलखन मांझी निवासी माया विगहा थाना कादीरगंज जिला नवादा, बिहार मु0अ0सं0 376/2022 धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 2- मोहन साहू पुत्र रोपन साहू निवासी बंजरहा किस्को थाना लोहर दग्गा जिला लोहर दग्गा, झारखण मु0अ0सं0 377/2022 धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम थाना खजनी जनपद गोरखपुर

#### बरामदगी-

85 ली अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1- उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 2- उ0नि0 शैलेन्द्र शुक्ला थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 3- का0 रामबाबू थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 4- का0 विक्की गुप्ता थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 5- का रोहित मिश्रा थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 6- का0 दीपक गौड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 7- म0का0 रोली ओझा थाना खजनी जनपद गोरखपुर